क्षेत्रीय कार्यालय
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1–ए/आई.एन.एस.–1, आवास विकास कालोनी, बौद्ध विहार,
दिल्ली रोड, मुरादाबाद
ई–मेल : romoradabad@uppcb.in, दूरभाष : 0591–2972012

पत्र संख्या : 1137/N-13/420/2022/न०नि० दिनांक 20 /09/2022

Through E-Filling (E-mail : judicial-ngt@gov.in)

To,

The Registrar,
Hon'ble National Green Tribunal,
Copernicus Marg, New Delhi.

ई-फाइल

Sub: Regarding factual and action taken report in Compliance of order dated 12-07-2022 in the matter of Surendra Kumar Vs State of U.P. in O.A. No. 420/2022.

Sir,

In compliance of the direction passed by Hon'ble National Green Tribunal dated 12-07-2022 on matter mentioned above, a factual and action taken report is hereby attached with a request to put up before Hon'ble National Green Tribunal for kind perusal.

Yours Sincerely,

(Vikas Mishra)
Regional Officer

Copy to : following for information and necessary action please-

1. District Magistrate, Sambhal.
2. Shri Pradeep Mishra, Advocate for U.P. Pollution Control Board, Lucknow.
3. CEO-7, U.P. Pollution Control Board, Lucknow.
4. Chief Law Officer, U.P. Pollution Control Board, Lucknow.

Regional Officer

AEE CORS NEW 2022

Action Taken Report

In the matter of

Surendra Kumar

V/S

State of Uttar Pradesh

(O.A. No. 420/2022)

Hon'ble National Green Tribunal

(Order dated 12th July, 2022)

Inspection done by

(Joint Committee on dated 27-07-2022)

Contents -

1. Back Ground
2. Observation
3. Conclusion
4. Action Taken

Action taken Report in compliance of direction issued by Hon'ble NGT order dated 12-07-2022 in the matter of Surendra Kumar V/S State of Uttar Pradesh in O.A. No. 420/2022.

1- Background :-

Hon'ble NGT, New Delhi vide order dated 12-07-2022 in the matter of Surendra Kumar V/S State of Uttar Pradesh in O.A. No. 420/2022 had directed following –

"2- The averments made in the application involve serious questions relating to environment arising out of the implementation of enactments specified in Schedule I to the National Green Tribunal Act, 2010. We are of the view that the factual position needs to be verified and remedial action is required to be taken on the basis thereof by the concerned Statutory Authorities. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of State PCB, Executive Officer, Municipal Corporation, Sambhal, Chief Medical Officer, Sambhal and District Magistrate, Sambhal and direct the same to undertake site visits, look into the grievances of the applicant, verify the factual position and take remedial action in accordance with law by following due process within one month from the date of receipt of a copy of this order. The State PCB will be the Nodal agency for coordination and compliance."

"3. Factual and action taken report may be furnished within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF."

In compliance to the aforesaid direction, a Joint Team comprising Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Sambhal, Chief Medical Officer, Sambhal, Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Moradabad and Sub District Magistrate (District Administration) Sambhal visited the said sweets making unit M/s Guru Sweets located behind Axis Bank, Chaundasi-Amroha Road, Teshil & District Sambhal on 27-07-2022. Copy of Joint inspection report is annexed as **Annexure– 1**.

2- Observations :-

i. As per the report of Joint Committee, the said sweets making unit M/s Guru Sweets is located behind Axis Bank, Teshil & District Sambhal and is being operated under the area of Nagar Palika Parishad, Sambhal and engaged in manufacturing of sweets 60 Kg/Day by using Sugar, Milk, Mava etc as its raw materials.

ii. Unit has obtained license under Food Safety and Standards Act, 2006 from the department of Food safety and Drug Administration, Government of Uttar Pradesh on dated 23-01-2020 which is valid upto 22-01-2025.

iii. During visit it was observed that, a small quantity of waste water estimated to be approx 500 liter per day is generated from equipment/ utensils washing section and needs its treatment. Further, it was also found that flow in municipal drain is stagnant and required the cleaning of drain.

iv. The Unit has 02 gas fired and 02 wood fired small bhattis in which LPG approx apporx 30 Kg/Day and Wood 30 Kg/Day is used as fuel. A common stack of approx 30 feet height is installed on wood fired bhattis.

Conclusion :

The said Sweets making unit M/s Guru Sweets located behind Axis Bank, Teshil & District Sambhal is being operate in area of Nagar Palika Parishad, Sambhal without having consent under section 25/26 of Water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974 and under section 21/22 of Air (Prevention and Control of Pollution) Act 1981 as amended and also not having Effluent Treatment Facility for the treatment of waste water generated from equipment/utensils washing section.

Action taken:

Considering above facts UPPCB, Lucknow has issued the show cause notice vide letter no. H80626/C-7/शिका0–44/का0ब0नो0/22 dated 02-09-2022 under section 33-A of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974 . Apart from that Sub District Magistrate, Sambhal has also issued a notice on 15-09-2022 under section 133, of crpc. Copies are annexed as Annexure – 2 & 3.

Regional Officer
U.P. Pollution Control Board,
Moradabad

कार्यालय उपजिलाधिकारी सम्भल।

पत्रांकः– 252(i) /एस0टी0–22/ दिनांक– 30 जुलाई, 2022

जिलाधिकारी
सम्भल।

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या 420/2022 सुरेन्द्र कुमार एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 12.07.2022 के अनुपालन में स्थलीय जांच आख्या–

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्रांक 240/ईआरके दिनांक 21.07.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या 420/2022 सुरेन्द्र कुमार एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 12.07.2022 के अनुपालन में संयुक्त समिति गठित कर स्थलीय जांच आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा मैसर्स गुरू स्वीटस्, का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण आख्या इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक सहित

(विनय कुमार मिश्र)
उपजिलाधिकारी
सम्भल

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)महोदय, सम्भल।
2– क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड मुरादाबाद।

30/7/2022

उपजिलाधिकारी
सम्भल

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ.ए. संख्या 420/2022 सुरेन्द्र कुमार एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 12.07.2022 के अनुपालन में स्थलीय जाँच आख्या–

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ.ए. संख्या 420/2022 सुरेन्द्र कुमार एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारिजत आदेश दिनांक 12.07.2022 के पैरा–2 में निम्न निर्देश दिये गये है–

1- "The averments made in the application involve serious questions relating to environment arising out of the implementation of enactments specified in Schedule I to the National Green Tribunal Act, 2010. We are of the view that the factual position needs to be verified and remedial action is required to be taken on the basis thereof by the concerned Statutory Authorities.Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of State PCB, Executive Officer, Municipal Corporation, Sambhal, Chief Medical Officer, Sambhal and District Magistrate, Sambhal. and direct the same to undertake site visits, look into the grievances of the applicant, verify the factual position and take remedial action in accordance with law by following due process within one month from the date of receipt of a copy of this order. The State PCB will be the Nodal agency for coordination and compliance."

मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.7.2022 के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, सम्भल के पृष्ठांकन आदेश 240/ई.आर.के. दिनांक 21.07.2022 एवं अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) के पत्रांक 516/एल.बी. सी./जाँच स0ग0/2022–23 दिनांक 26.07.2022 के अन्रक्रम में गठित संयुक्त समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण दिनांक 27.07.2022 को किया गया। आख्या निम्नवत् है–

1 शिकायत से सम्बधित प्रकरण मैसर्स गुरु स्वीटस्, नगर पालिका परिषद, सम्भल के क्षेत्रान्तर्गत एक्सिस बैंक व पंजाब नेशनल बैंक के पीछे, चन्दौसी–अमरोहा रोड, तहसील व जनपद सम्भल के आवासीय/व्यवसायिक क्षेत्र में वर्ष 2021 से स्थापित/संचालित है। निरीक्षण के समय श्री रजनी कान्त तिवारी, पार्टनर इकाई प्रतिनिधि के रुप में उपस्थित थे।

2 इकाई द्वारा मुख्य कच्चे माल के रुप में चीनी– 50 किग्रा0/दिन, मेवा– 10 किग्रा0/दिन, दूध– 120 किग्रा0/दिन आदि का प्रयोग करते हुए, विभिन्न प्रकार की मिठाईयां (स्वीटस्) लगभग 60 किग्रा0/दिन का उत्पादन किया जाता है।

3 इकाई में जल की आपूर्ति नगर पालिका परिषद की सप्लाई एवं स्वयं के स्थापित 1.5 एच.पी. क्षमता के नलकूप से की जाती है। जल आपूर्ति की मात्रा को मापने हेतु इकाई द्वारा वाटर फ्लोमीटर स्थापित नही पाया गया।

4 इकाई को अभिहीत अधिकारी, सम्भल के द्वारा Food Safety and Standards act, 2006 के अधीन अनुज्ञप्ति दिनांक 23.01.2020 को जारी की गयी है, जो दिनांक 22.01.2025 तक वैध है। **संलग्नक –1**।

5 इकाई द्वारा स्थापना एवं संचालन से पूर्व उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र/सहमति प्राप्त नही की गयी है।

6 इकाई में 15 किलोवाट का विद्युत संयोजन, 30 के.वी.ए. का कैनौपी युक्त डी.जी. सेट एवं 25 के.वी.ए. का सोलर प्लांट स्थापित पाया गया तथा इकाई द्वारा प्रस्तुत उ0प्र0 पावर कारर्पोरेशन लि0, नगरीय विद्युत वितरण खण्ड, सम्भल की भुगतान प्राप्ति मे विद्युत संयोजन की तिथि दिनांक 15.11.2021 दी गयी है।

7 इकाई द्वारा जल की खपत कड़ाहे/ट्रे आदि यूटेन्सिल्स की धुलाई एवं घरेलू प्रयोजनों में की जाती है। धुलाई प्रकिया से लगभग 500 ली0/दिन उत्प्रवाह जनित होता है, को शुद्धिकृत किये जाने हेतु कोई व्यवस्था स्थापित नही है एवं उत्प्रवाह को सीधे नगर पालिका के ड्रेन में निस्तारित किया जाता है। निरीक्षण के दौरान

इकाई में धुलाई प्रकिया का कार्य न होने के कारण इकाई से उत्प्रवाह जनित नही हो रहा था, अतः उत्प्रवाह का नमूना एकत्र नही किया जा सका। समिति द्वारा यह भी पाया गया कि नगर पालिका ड्रेन की सफाई न होने के कारण नाले में प्रवाह सामान्य रुप से प्रवाहित नही हो रहा है एवं जगह–जगह पर जल ठहराव देखा गया।

8 इकाई में वायु प्रदूषण की दृष्टि से 02 गैस फार्यड एवं 02 वुड फार्यड भट्ठिया स्थापित पायी गयी। ईधन के रुप में गैस फायर्ड भट्ठियों में एल.पी.जी लगभग 30 किग्रा0/दिन तथा वुड फार्यड भट्ठियो में लकडी लगभग 30 किग्रा0/दिन की खपत की जाती है। वुड फार्यड भट्ठियों पर ईधन प्रयोग से जनित गैसीय उत्सर्जन के कारण संयुक्त रुप से भू–तल से लगभग 30 फीट ऊँची चिमनी स्थापित पायी गयी।

9 निरीक्षण के समय समिति द्वारा शिकायतकर्ता श्री सुरेन्द्र कुमार से सम्पर्क करने का प्रयास किया गया, परन्तु सम्पर्क नही हो सका। जाँच के समय स्थल पर एक्सिस बैंक के प्रबन्धक श्री दीपेश कुमार वाष्णेय, पंजाब नेशनल बैंक के प्रबन्धक श्री सुशेन कुमार गिरि एवं बैक ऑफ बडौदा के प्रबन्धक श्री विमल कुमार शर्मा उपस्थित थे, जिनके द्वारा इकाई के संचालन से कोई शिकायत न होना अवगत कराया गया तथा इस संबंध में लिखित रुप से पत्र प्रस्तुत किया गया है। **संलग्नक– 2।**

10 निरीक्षण के समय उपस्थित चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सम्भल के द्वारा इकाई से निस्तारित प्रदूषित पानी (उत्प्रवाह) से क्षेत्र में किसी प्रकार की बीमारी फैलने से सम्बधित प्रकरण संज्ञानित न होना अवगत कराया गया है।

टिप्पणी एवं संस्तुति :– उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि इकाई उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापना एवं संचालन से पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र/सहमति प्राप्त किये बिना अनुमन्य भू–उपयोग के विरुद्ध संचालित की जा रही है तथा प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं स्थापित नही पायी गयी है। अतः प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु विभागीय कार्यवाही नियमानुसार करायी जाये।

30/7/2022

(रामपाल यादव)
अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद,
सम्भल

(डॉ0 मनीष अरोरा)
चिकित्सा अधीक्षक,
सामुदायिक स्वास्थ्य
केन्द्र,
सम्भल

(एस.एस. चौहान)
सहायक वैज्ञानिक अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
मुरादाबाद

(विनय कुमार मिश्र)
उपजिलाधिकारी,
सम्भल

H80626 |क्षे-7|विधि-|44|का-ब-नो-|22 2-9-22

सेवा में,

मै0 गुरू स्वीट्स,
एक्सिस बैंक व पंजाब नेशनल बैंक के पीछे,
चन्दौसी–अमरोहा रोड, तहसील व जनपद–सम्भल।

Annex - 2

यह कि मै0 गुरू स्वीट्स, एक्सिस बैंक व पंजाब नेशनल बैंक के पीछे, चन्दौसी–अमरोहा रोड, तहसील व जनपद–सम्भल द्वारा चीनी–50 कि0ग्रा0/दिन, मेवा–10 कि0ग्रा0/दिन, दूध–120 कि0ग्रा0/दिन आदि का प्रयोग कर विभिन्न प्रकार की मिठाईयॉं लगभग 60 कि0ग्रा0/दिन का उत्पादन किया जाता है, जोकि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा 47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–420/2022, सुरेन्द्र कुमार एवं अन्य बनाम स्टेट आफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 12.07.2022 के अनुपालन में मै0 गुरू स्वीट्स, एक्सिस बैंक व पंजाब नेशनल बैंक के पीछे, चन्दौसी–अमरोहा रोड, तहसील व जनपद–सम्भल का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 27.07.2022 को किया गया। इकाई मै0 गुरू स्वीट्स, एक्सिस बैंक व पंजाब नेशनल बैंक के पीछे, चन्दौसी–अमरोहा रोड, तहसील व जनपद–सम्भल आवासीय/व्यवसायिक क्षेत्र में वर्ष 2021 से संचालित है। इकाई द्वारा कच्चे माल के रूप में चीनी–50 कि0ग्रा0/दिन, मेवा–10 कि0ग्रा0/दिन, दूध–120 कि0ग्रा0/दिन आदि का प्रयोग कर विभिन्न प्रकार की मिठाईयॉं लगभग 60 कि0ग्रा0/दिन का उत्पादन किया जाता है। इकाई में जलापूर्ति नगर पालिका परिषद की सप्लाई एवं स्वयं के स्थापित 1.5 एच0पी0 क्षमता के नलकूप से की जाती है। जल आपूर्ति की मात्रा को मापने हेतु इकाई द्वारा कोई व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी है। इकाई द्वारा जल की खपत कड़ाहे/ट्रे आदि यूटेन्सिल्स की धुलाई एवं घरेलू प्रयोजनों में की जाती है। धुलाई प्रक्रिया से लगभग 500 ली0/दिन उत्प्रवाह जनित होता है, को शुद्धिकृत किये जाने हेतु कोई व्यवस्था स्थापित नहीं है एवं उत्प्रवाह को सीधे नगर पालिका के ड्रेन में निस्तारित किया जाता है। इकाई में वायु प्रदूषण के दृष्टिगत 02 गैस फार्यड एवं 02 वुड फार्यड भट्ठियॉं स्थापित पायी गयी। वुड फायर्ड भट्ठियों पर ईंधन प्रयोग से जनित गैसीय उत्सर्जन हेतु संयुक्त रूप से भू–तल से लगभग 30 फीट ऊॅंची चिमनी स्थापित पायी गयी। इकाई द्वारा स्थापना एवं संचालन से पूर्व राज्य बोर्ड से अनापत्ति प्रमाणपत्र/सहमति पत्र प्राप्त नहीं किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत जल प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–33ए के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की अनुमति से मै0 गुरू स्वीट्स, एक्सिस बैंक व पंजाब नेशनल बैंक के पीछे, चन्दौसी–अमरोहा रोड, तहसील व जनपद–सम्भल के विरूद्ध निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किये जाते हैं :–

1. यह कि क्यों न मै0 गुरू स्वीट्स, एक्सिस बैंक व पंजाब नेशनल बैंक के पीछे, चन्दौसी–अमरोहा रोड, तहसील व जनपद–सम्भल के विरूद्ध बन्दी आदेश जारी कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाए कि मै0 गुरू स्वीट्स, एक्सिस बैंक व पंजाब नेशनल बैंक के पीछे, चन्दौसी–अमरोहा रोड, तहसील व जनपद–सम्भल को मिलने वाले जल एवं बिजली की समस्त सुविधाएं तत्काल प्रभाव से रोक दी जाएं।

उपरोक्त के संबंध में स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के 15 दिन में प्रस्तुत करें। संतोषजनक उत्तर निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त वर्णित आदेश/निर्देश की पुष्टि कर दी जाएगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं इकाई का होगा।

G.C.

(जी0सी0 आर्या)
पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त–7

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 जिलाधिकारी, सम्भल को सादर सूचनार्थ।
2 अधिशासी अधिकारी, विद्युत वितरण खण्ड, तहसील–सदर, जिला–सम्भल को सूचनार्थ।
3 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को इस आशय से प्रेषित कि इकाई के विरूद्ध जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति इकाई को प्राप्त कराते हुए आख्या 07 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करें।

G.C.

पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त–7

ok

Annexe-3

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :मुरादाबाद,जनपद :सम्भल,तहसील :सम्भल
वाद संख्या :-11324/2022
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202213740311324
सरकार बनाम मैसर्स गुरू सवीटस द्वारा पार्टनर रजनी कान्त तिवारी आदि
अतर्गत धारा:- 133, अधिनियम :- दण्ड प्रक्रिया संहिता

नोटिस अर्न्तगत धारा 133 (1) सी0आर0पी0सी0

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0संख्या 420/2022 सुरेन्द्र कुमार एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 12.07.2022 के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, सम्भल के पृष्ठांकन आदेश 240/ई0आर0के0 दिनांक 21.07.2022 एवं अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) के पत्रांक 516/एल0बी0सी0 जांच स0ग0/2022–23 दिनांक 26.07.2022 के अनुक्रम में गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 27.07.2022 को मैसर्स गुरू स्वीटस, का स्थलीय निरीक्षण किया गया। उपरोक्त इकाई मैसर्स गुरू स्वीट्स, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से स्थापना एवं संचालन से पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र/सहमति प्राप्त किये बिना अनुमन्य भू–उपयोग के विरूद्ध संचालित की जा रही है तथा प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं स्थापित नहीं पायी गयी है। अतः उपरोक्त इकाई के विरूद्ध धारा 133 सी0आर0पी0सी0 की कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

मेरे द्वारा संयुक्त गठित टीम द्वारा प्रस्तुत आख्या दिनांक 27.07.2022 का अनुशीलन किया गया, जिससे विदित है कि उपरोक्त इकाई मैसर्स गुरू स्वीट्स, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से स्थापना एवं संचालन से पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र/सहमति प्राप्त किये बिना अनुमन्य भू–उपयोग के विरूद्ध संचालित की जा रही है तथा प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं स्थापित नहीं पायी गयी है। अतः उपरोक्त के विरूद्ध धारा 133 सी0आर0पी0सी0 की कार्यवाही करना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः मैं विनय कुमार मिश्र, उपजिला मजिस्ट्रेट सम्भल संयुक्त गठित टीम द्वारा प्रस्तुत आख्या दिनांक 27.07.2022 से पूर्णतः सहमत व सन्तुष्ट हूँ। अतएव मैसर्स गुरू स्वीट्स के पार्टनर/प्रतिनिधि श्री रजनी कान्त तिवारी व निशीकान्त तिवारी पुत्रगण छोटेलाल निवासी मौ0 ठेर तहसील व जिला सम्भल को आदेशित करता हूं कि आपके द्वारा मैसर्स गुरू स्वीट्स, इकाई संचालित कर उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिनियमों के प्राविधानों के विरूद्ध संचालित की जा रही है, जिससे पब्लिक न्यूसेंस की सम्भावना बनी हुई है। एतद् द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त इकाई के संचालन को बन्द करें दें, यदि उपरोक्त के सम्बंध में आपको कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में दिनांक 22.09.2022 को प्रातः 11:00 बजे स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से जो भी मौखिक/लिखित साक्ष्य हो प्रस्तुत करें। नोटिस की प्रति प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सम्भल को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि

Scanned with OKEN Scanne

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :मुरादाबाद,जनपद :सम्भल,तहसील :सम्भल
वाद सख्या :-11324/2022
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202213740311324
सरकार बनाम मैसर्स गुरू सवीटस द्वारा पार्टनर रजनी कानूत तिवारी आदि
अंतर्गत धारा:- 133, अधिनियम :- दण्ड प्रक्रिया सहिता

नोटिस सम्बंधित को दस्त व दस्त तामील कराकर तामील प्रति इस न्यायालय को नियत दिनांक से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(विनय कुमार मिश्र)
उपजिला मजिस्ट्रेट
सम्भल

यह नोटिस आज दिनांक 15.09.2022 को मेरे द्वारा हस्ताक्षरित/दिनांकित एवं न्यायालय की मोहर सहित प्रदत।

उपजिला मजिस्ट्रेट
सम्भल

Scanned with OKEN Scanner